क्रम संख्या–120 पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, मंगलवार, 09 नवम्बर, 2021 ई0

कार्तिक 18, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 301/XXXVI (3)/2021/12(1)/2020

देहरादून, 09 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन मा0 राज्यपाल नें उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **'उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995) (संशोधन) विधेयक, 2020'** पर दिनांक 03 नवम्बर, 2021 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का **अधिनियम संख्याः 25 वर्ष, 2021** के रूप में सर्व–साधारण के सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995) (संशोधन) अधिनियम, 2020

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 25, वर्ष 2021)

उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिये–

अधिनियम

भारत गणराज्य के इकहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा निम्नवत् अधिनियमित हो–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995) (संशोधन) अधिनियम, 2020 है।

(2) यह दिनांक 28 फरवरी, 2014 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

"उत्तर प्रदेश" के स्थान पर "उत्तराखण्ड" पढ़ा जाना

2. उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1995 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) में जहाँ–जहाँ शब्द पद "उत्तर प्रदेश" आया है वहाँ–वहाँ शब्द "उत्तराखण्ड" पढ़ा जायेगा।

धारा 2 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (ज) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात्:–

"(ज ज)– "विहित" का तात्पर्य इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित से है।"

धारा 3 का प्रतिस्थापन

4. मूल अधिनियम की धारा 3 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :–

"3 उच्च शिक्षा परिषद् की स्थापना:–

(1) उत्तराखण्ड राज्य उच्च शिक्षा परिषद् के नाम से एक परिषद् की स्थापना की जाएगी।

(2) परिषद् एक सलाहकारी निकाय होगी।"

धारा 4 का प्रतिस्थापन

5. मूल अधिनियम की धारा 4 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी अर्थात् :

"4 "परिषद् का गठन–परिषद् में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:–

(क)	विभागीय मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), उत्तराखण्ड सरकार	अध्यक्ष पदेन
(ख)	मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन	उपाध्यक्ष– पदेन
(ग)	अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उच्च शिक्षा उत्तराखण्ड शासन	सदस्य– सचिव पदेन

(घ)	अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू0जी0सी0) या उनके द्वारा नामित व्यक्ति	सदस्य
(ङ)	सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार अथवा उनके द्वारा नामित सदस्य	सदस्य
(च)	राज्य सरकार में निम्न विभागों के सचिवगण:–	
(i)	सचिव, राज्यपाल, उत्तराखण्ड	सदस्य
(ii)	सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन	सदस्य
(iii)	सचिव, कृषि शिक्षा	सदस्य
(iv)	सचिव, चिकित्सा शिक्षा	सदस्य
(v)	सचिव, तकनीकी शिक्षा	सदस्य
(vi)	सचिव, आयुष शिक्षा	सदस्य
(vii)	सचिव, संस्कृत शिक्षा	सदस्य
(viii)	सचिव, न्याय विभाग	सदस्य
(ix)	सचिव, वित्त विभाग	सदस्य
(छ)	उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट पाँच से अनधिक व्यक्ति	सदस्य 3 सरकारी और 2 गैर सरकारी विश्वविद्यालयों से
(ज)	निदेशक, उच्च शिक्षा	सदस्य
(झ)	राज्य सरकार द्वारा नामित तीन प्रख्यात शिक्षाविद	सदस्य
(ण)	राज्य सरकार द्वारा नामित औद्योगिक क्षेत्र से दो ख्याति प्राप्त उद्यमी	सदस्य
(ट)	उत्तराखण्ड राज्य में स्थापित स्नातकोत्तर महाविद्यालयों के प्राचार्यों में से राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दो से अनधिक व्यक्ति	सदस्य 1 सरकारी और 1 गैर सरकारी महाविद्यालयों से

स्पष्टीकरण : अध्यक्ष का पद पदेन है जो लाभ का पद नहीं है। अध्यक्ष/सभापति को किसी भी प्रकार की कोई मानदेय, सुविधायें आदि अनुमन्य नहीं है।"

धारा 7 का प्रतिस्थापन

6. मूल अधिनियम की धारा 7 निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात् :–

"7. अध्यक्ष/सभापति और नाम निर्दिष्ट सदस्यों की सेवा के निबन्धन और शर्तें–

(1) नाम–निर्दिष्ट सदस्य राज्यपाल के प्रसाद पर्यन्त अथवा 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक, जो भी पहले हो, कार्यरत रहेंगे।

(2) कोई नाम–निर्दिष्ट सदस्य या सहयोजित सदस्य, यथास्थिति, राज्य सरकार या परिषद् को सम्बोधित स्वहस्ताक्षरित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकता है, किन्तु वह पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि उसका त्याग–पत्र, यथास्थिति, राज्य सरकार या परिषद् द्वारा स्वीकार न कर लिया जाये।

(3) इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, नाम–निर्दिष्ट सदस्यों की सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी विहित की जाये।

(4) अध्यक्ष/सभापति ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा जैसी विहित किए जाये।''

धारा 11 का संशोधन

7. मूल अधिनियम की धारा 11 की उपधारा (2) के खण्ड पाँच को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्: –

'पाँच– अन्य कृत्य :–मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (रूसा) तथा उच्च शिक्षा से सबंधित राज्य सरकार द्वारा यथा संचालित विभिन्न योजनाओं के सम्बन्ध में राज्य सरकार को परामर्श देना।

आज्ञा से,

हीरा सिंह बोनाल,
प्रमुख सचिव।

कारण एवं उद्देश्य

उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान परिस्थितियों तथा रूसा के अन्तर्गत कतिपय आवश्यकताओं के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद अधिनियम, 1995 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) में संशोधन किया जाना अपरिहार्य है।

2– उक्त अधिनियम के कतिपय प्रावधानों के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के दृष्टिगत् उक्त अधिनियम में संशोधन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

3– प्रस्तावित विधेयक उपरोक्त उद्देश्य की पूर्ति करता है।

धन सिह रावत
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)